राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांकः प. 10 (2) शिक्षा–3 / 2012 जयपुर, दिनांक 17 अप्रैल, 2012

निदेशक,
कॉलेज शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर।

I. D. No............/PS/CCE/
Dated.......................

JD(Adm)

विषयः–शासन तंत्र में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से कार्यरत सभी कार्मिकों द्वारा राजकीय कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान पत्र, नोट अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करते समय अपना पूरा नाम व दिनांक अंकित करने के क्रम में।

18/4 महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनु–1) के परिपत्र क्रमांक प. 10(1) प्र.सु./अनु–1/2012 दिनांक 30.03.2012 की छाया प्रति भिजवाकर लेख है कि कृपया परिपत्र में वर्णित निर्देशों के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करवाने का श्रम करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय

शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपिः–

1. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा को उपर्युक्त वर्णित परिपत्र की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा को उपर्युक्त वर्णित परिपत्र की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. संयुक्त विधि परामर्शी, उच्च शिक्षा को उपर्युक्त वर्णित परिपत्र की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

2256
18/4

शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा

कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 26(परिपत्र)स्था/निकाशि/2012/1060 दिनांकः 25 मार्च, 2012

प्रतिलिपिः डा0 धीरेन्द्र देवर्षि, बेवसाईट प्रभारी, निदेशालय को भेजकर लेख है कि उपरोक्त परिपत्र को विभाग ~~की वेबसा~~ईट पर अपलोड करें।

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा राज0, जयपुर

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

क्रमांक प. 10 (1) प्र0सु00 / अनु–1 / 2012 जयपुर, दिनांक 30-3-2012

:–परिपत्र:–

यह देखने मे आया है कि राजकीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा जो पत्र प्रेषित किये जाते है एवं टिप्पणी / नोट निर्णयार्थ उच्च स्तर पर प्रस्तुत किये जाते है, उन पर प्रायः उनके हस्ताक्षर के नीचे उनका पूरा नाम एवं दिनांक अंकित नही किये जाते है तथा केवल पद नाम ही अंकित कर दिया जाता है, जब किसी कारणवश उनके पद या अन्य विवरण की जानकारी आवश्यक हो अथवा जाँच की स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित अधिकारी / कर्मचारी की पहचान नही हो पाती है तथा जिससे जाँच में विलम्ब होता है एवं जाँच प्रभावित होने की सम्भावना बनी रहती है। प्रशासन के फील्ड कार्यरत कार्मिकों जैसे पटवारी, ग्राम सचिवों के मामले मे इसका और भी गहरा असर होता है।

अतः शासन तंत्र के सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने की दृष्टि से एवं जवाबदेही प्रशासन की धारणा को मूर्तरूप देने के लिए यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में समस्त अधिकारी / कर्मचारी एवं फील्ड में कार्यरत सभी कार्मिक राजकीय कर्तव्य निर्वहन के दौरान किसी पत्र, नोट एवं अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें तो अपने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक एवं अपना पूरा नाम आवश्यक रूप से अंकित करें, जिससे प्रशासन में बेहतर पारदर्शी एवं जवाबदेही स्थापित हो सके।

अन्य कार्मिक जो पत्र / आदेश आदि पर अपने पदनाम की मोहर लगाते है वे अपने नाम की मोहर भी अलग से पदनाम के ऊपर लगा सकते हैं अथवा नाम अंकित कर सकेते है तथा उसके ऊपर अपने दिनांक्रित हस्ताक्षर कर सकते है।

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिवों से अपेक्षा की जाती है कि वें अपने अधीनस्थ विभागों / बोर्ड / निगम के अधिकारियों से उपयुर्क्त निर्देशों की पालना कराया जाना सुनिश्चित करेगें।

उक्त निर्देशो की अवहेलना को गम्भीरता से लिया जायेगा और ऐसी स्थिति में अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(सी.के.मैथ्यू)
मुख्य सचिव

D:\hari om\m.doc

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मा0मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
4. प्रमुख आवासीय आयुक्त/आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाऊस, पण्डारा रोड़, नई दिल्ली।
5. समस्त संभागीय आयुक्त।
6. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. समस्त जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक।
9. समस्त निगम/बोर्ड/आयोग।
10. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ।
11. आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर–प्रचार प्रसार हेतु।
12. राक्षित पत्रावली।

(डॉ. आर.पी.जैन)
प्रमुख शासन सचिव